



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2011/आश्विन 8, 1933

No. 194]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2011/ASVINA 8, 1933

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2011

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011

फा. सं. 37-3/विधिक/2011.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभातशिप एतद्द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011 बनाती है—

2.11 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2011 के उप-खंड 2.11 को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है:

“प्रभाग” से अभिप्रेत है;

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/भेषजी/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त कला और शिल्प/वास्तुकला/नगर आयोजना में स्नातकपूर्व कार्यक्रम एवं डिप्लोमा तथा पीजीडीएम/एमबीए/एमसीए में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में साठ सीटों का बैच, जिसमें अतिरिक्त सीटें, यदि कोई हों, इसके अलावा होंगी;

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/भेषजी/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त कला और शिल्प/वास्तुकला/नगर आयोजना में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में 30 सीटों का बैच ।

2.28 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2011 में खंड 2.27 के बाद उप-खंड 2.28 को जोड़ा गया है

अंशकालिक कार्यक्रमों से अभिप्रेत है कि सायं 5.30 से सायं 9.30 तक (सप्ताह में छः दिन) संचालित किए जाने वाले क्रियाकलाप, जो कि ऐसे स्थानों पर चलाए जाते हैं, जहां पर पहले से ही पहली/सामान्य पाली चलाई जा रही हो तथा यह केवल कार्यरत व्यवसायियों अथवा कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले व्यवसायियों के लिए ही होगी ।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2011 में उप-खंड 4.1 छः नया जोड़ा गया है

छः विद्यमान संस्थाओं की स्थिति/स्थान में परिवर्तन

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम 2011 के उपखण्ड 4.2 ख को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है

ख. नये पाठ्यक्रम/ओं, प्रभाग/ओं, कार्यक्रम/ओं, द्वितीय पाली तथा अंशकालिक कार्यक्रमों को आरंभ करना

- 4.4 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम 2011 के उपखण्ड 4.4 को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है

इन विनियमों के खंड 4.1 (क), (ख), (ग), (घ) (ङ), (च) तथा (छ) के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन निम्नलिखित द्वारा किए जाएंगे :

- 4.8 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम 2011 के उपखण्ड 4.8 तथा 4.9 को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है

वेब-पोर्टल पर दिए गए प्रपत्र में, 100/- ₹0 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से शपथ ग्रहण किया गया यह शपथ-पत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया हो कि आवेदन में दी गई जानकारी सत्य है और यह कि यदि किसी भी अवस्था में यह पाया जाता है कि जानकारी अथवा जानकारी के किसी भाग को छिपाया गया है और/अथवा उसका गलत निर्वचन किया गया है और/अथवा आवेदन में दी गई जानकारी असत्य है, तो परिषद् कोई भी ऐसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसमें अनुमोदन का वापस लिया जाना और/अथवा ऐसी अन्य विधिक कार्रवाई, जो यह उपयुक्त समझे, करना शामिल है।

- 4.9 (क) निम्नलिखित हेतु आवेदन करने वाली सभी विद्यमान संस्थाएं :

- विद्यमान तकनीकी संस्था/तकनीकी परिसर के अनुमोदन में विस्तार हेतु
- विद्यमान पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी
- विद्यमान कार्यक्रम में पाठ्यक्रम/ओं को शामिल करना
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम बंद करना
- शिक्षण शुल्क माफी योजना (टी.एफ.डब्ल्यू) के अंतर्गत अतिरिक्त सीटों का अनिवार्य प्रावधान
- पी.आई.ओ. हेतु अतिरिक्त सीटें आरंभ करना/जारी रखना/बंद करना
- अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के बालकों हेतु सीटें आरंभ करना/जारी रखना/बंद करना
- संस्थान के नाम में परिवर्तन
- द्वितीय पाली कार्यक्रम
- अंशकालीन कार्यक्रम

जब तक आवेदक अपना आवेदन वेबपोर्टल पर अंतिम रूप से जमा नहीं कर देता, तब तक वह, संस्थान के लॉगइन के माध्यम से उपलब्ध कमियों/स्थिति रिपोर्ट के आधार पर ऑनलाईन आवश्यक सुधार कर सकता है।

यदि कोई कमी नहीं पाई जाती है तो अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय II के खण्ड 3.0, उपखण्ड 8.1 तथा उपखण्ड 9.6 के अनुसार प्रणाली द्वारा आवेदित की गई प्रवेश क्षमता का आबंटन किया जाएगा।

सभी संस्थाओं की समेकित सूची उनकी अनुमोदित प्रवेश क्षमता सहित कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदन अथवा अन्य हेतु प्रस्तुत की जाएगी। इसे वेबपोर्टल पर भी अधिसूचित किया जाएगा। इसके पश्चात् संस्थान अपने लॉगइन के माध्यम से अनुमोदित प्रवेश क्षमता सहित अपने अनुमोदन में विस्तार हेतु पत्र मुद्रित कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया हेतु अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आवेदक को आवेदन जमा करने से पहले ऑनलाईन पर दी गई कमी/स्थिति रिपोर्ट सहित आवेदन फार्म में सुधार करने के विभिन्न अवसर प्रदान किये जा चुके हैं।

4.9 (ख) 4.9 (क) में दिए गए आवेदनों के अतिरिक्त सभी आवेदनों का मूल्यांकन, अभातशिप के वेब-पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वचालित चयन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए चयनित किये गये सदस्यों के माध्यम से अध्यक्ष, क्षेत्रीय समिति द्वारा गठित एक संवीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।

4.11 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम 2011 के उपखण्ड 4.11 को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है

संवीक्षा समिति, उन आवेदकों को, जिन्होंने खंड 4.1 (क), (ख), (ग), (घ) और (छ) के अंतर्गत अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं, स्कैन किए गए सभी दस्तावेजों की मूल-प्रतियों तथा नई संस्थाओं के लिए सृजित सभी सुविधाओं की वीडियो सीडी के साथ (यथा प्रकरण), प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित करेगी।

खंड 4.1 (ड) तथा (च) 4.2 (छ) में सूचीबद्ध अन्य आवेदकों के संबंध में, संवीक्षा समिति आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तावों का प्रक्रमण करेगी।

4.2 (क), (ख), (ग), (घ), (ड) और (च) के अंतर्गत किए गए आवेदनों की संवीक्षा नहीं की जाएगी, इन पर प्रक्रमण स्वतः-प्रकटीकरण के आधार पर किया जाएगा।

- 4.12 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम 2011 के उपखण्ड 4.12 को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है

संवीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी आवेदकों को समय-अनुसूची में यथावर्णित तारीख तक कमियाँ, यदि कोई हैं, की सूचना देगा। कमियों की सूची जानकारी के लिए अभातशिप के वेब-पोर्टल पर दर्शाई जाएगी।

- 4.13 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम 2011 के उपखण्ड 4.13 को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है

विशेषज्ञ समिति उन संस्थाओं का निरीक्षण करेगी, जिनके आवेदन इन विनियमों के खंड 4.1 (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) के संबंध में प्राप्त हुए हैं, जो कि अनुमोदन की मंजूरी हेतु आगे प्रक्रमण के लिये संवीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित किये गये हैं।

- 4.17 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम 2011 के उपखण्ड 4.17 को हटा दिया गया है

- 4.23 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम 2011 के खण्ड 4.23 को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है

इन विनियमों के खण्ड 4.1 तथा 4.2 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर प्रक्रमण, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका अथवा अभातशिप द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रक्रियाओं, सन्नियमों तथा मानकों एवं अनुसूची के आधार पर किया जाएगा।

- 4.31 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम 2011 के खण्ड 4.31 को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है

इन विनियमों के खण्ड 4.28 और 4.29 के अधीन विद्यमान पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के विस्तार अथवा अनुमोदन के विस्तार की मंजूरी से इंकार किए जाने के मामले में, ऐसी संस्थाओं से इन विनियमों के खण्ड 4.1 और 4.2 में ऊपर उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए अनुमोदन हेतु प्राप्त किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी कार्रवाई का निपटारा न कर लिया गया हो तथा प्रवर्तकों/संस्थाओं को उल्लंघनों के आरोपों से मुक्त न कर दिया गया हो।

- 9.0 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम 2011 के खण्ड 9.0 को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है

अंशकालीन/सांयकालीन कार्यक्रम

परिषद् केवल विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त तकनीकी शिक्षा/प्रबंधन कार्यक्रमों को ही अभातशिप अनुमोदित तकनीकी/प्रबंधन संस्थाओं में अंशकालिक कार्यक्रमों के रूप में चलाने की अनुमति देगी।

- 14 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम 2011 के खण्ड 14 को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है

- 14.1 अनुमोदन के विस्तार के लिए अधूरे आवेदन प्रस्तुत किया जाना/आवेदन प्रस्तुत न किया जाना

परिषद् द्वारा अनुमोदन के विस्तार करने हेतु तकनीकी संस्थाएं, निर्धारित प्रपत्र पर संलग्नकों सहित, अभातशिप के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक वर्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगी, चाहे उन्हें किसी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए एक वर्ष से अधिक का भी अनुमोदन में विस्तार दिया जा चुका हो। ऐसे आवेदनों की प्राप्ति की (विलंब शुल्क (लेट फीस) के साथ अथवा बिना विलंब शुल्क के साथ) अंतिम तिथि अनुसूची में दिये गये अनुसार होगी।

अनुमोदन के विस्तार के लिए अधूरे आवेदन प्रस्तुत किये जाने/आवेदन प्रस्तुत न किये जाने पर संस्था के विरुद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संस्था परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाइयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होगी

1. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिरिक्त सीटों के लिए अनुमोदन का निलम्बन
2. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
3. कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
4. संस्था के अनुमोदन को वापस लेना

- 14.2 अधिक प्रवेश

किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत सीट संख्या से अधिक प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी। यदि संस्था द्वारा अधिक प्रवेश की सूचना दी जाती है/परिषद् द्वारा यह पाया जाता है, तो संस्था के विरुद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संस्था परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाइयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होगी :-

1. प्रत्येक अधिक प्रवेश के लिए प्रति छात्र वसूले गये कुल अधिक प्रवेश शुल्क (फीस) का पांच गुना
2. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिरिक्त सीटों के लिए अनुमोदन का निलंबन

3. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
4. कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
5. संस्था के अनुमोदन को वापस लेना

14.3 अर्हक प्राचार्य/निदेशक की अपेक्षा की पूर्ति न किया जाना

ऐसी संस्था, जिनके पास 18 माह से अधिक की अवधि के लिए पद के लिए यथानिर्धारित अर्हता के अनुसार प्राचार्य/निदेशक नहीं होंगे, उनके विरुद्ध परिषद् द्वारा निम्नलिखित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी :-

- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति

14.4 संकाय : छात्र अनुपात की पूर्ति न होना, शिक्षण स्टाफ के लिए निर्दिष्ट वेतनमानों और/अथवा अर्हताओं का अनुपालन न किया जाना

ऐसी संस्थाएं, जो 18 माह से अधिक के लिए यथानिर्दिष्ट संकाय : छात्र अनुपात का अनुरक्षण नहीं कर रही हैं, शिक्षण स्टाफ के लिए निर्दिष्ट वेतनमानों और/अथवा अर्हताओं का अनुपालन नहीं कर रही हैं, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाइयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :-

1. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन
2. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
3. संबंधित पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
4. संस्था के अनुमोदन को वापस लेना

14.5 कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रिंटरों, प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकों, जर्नलों, पुस्तकालय सुविधाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति न किया जाना

जो संस्थाएं, यथानिर्दिष्ट कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रिंटरों, प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकों, जर्नलों एवं पुस्तकालय सुविधाओं की पूर्ति नहीं करेंगी, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाइयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :-

1. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन
2. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
3. कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
4. संस्था के अनुमोदन को वापस लेना।

14.6 तकनीकी संस्था के लिए अतिरिक्त अनिवार्य अपेक्षाओं की पूर्ति न किया जाना

जो संस्थाएं निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करेंगी, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाइयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :-

1. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन
2. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति

14.7 निर्मित क्षेत्र की पूर्ति न करना

जो संस्थाएं, निर्दिष्ट निर्मित क्षेत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करेंगी, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :-

1. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन
2. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
3. कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
4. संस्था के अनुमोदन को वापस लेना।

14.8 धन-वापसी के मामले

प्रवेश के रद्द होने पर फीस की वापसी के बारे में अभातशिप के दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाली अथवा धन-वापसी में देरी करने वाली संस्थाएं, परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :-

1. शुल्क (फीस) की वापसी के प्रत्येक मामले के लिए प्रति छात्र से वसूले गए कुल शुल्क के दो गुना के समकक्ष का जुर्माना उद्ग्रहित किया जाएगा
2. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
3. कार्यक्रम/पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदन की वापसी
4. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिरिक्त सीटों, यदि कोई हैं, के लिए अनुमोदन का निलंबन

डॉ. के. पी. आइजैक, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/4/162/11/असा.]

**ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2011

**All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) (1st Amendment)
Regulations, 2011**

F. No. 37-3/Legal/2011.—In exercise of its powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Section 10 and Section 11 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) the AICTE hereby frames the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) (1st Amendment) Regulation, 2011

2.11	Sub Clause 2.11 of All India Council for Technical Education (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS REGULATIONS, 2011) shall be substituted by the following clause
	<p>“Division” shall mean;</p> <p>a batch of sixty seats in Under Graduate Program and Diplomas in Engineering / Technology / Pharmacy / Hotel Management & Catering Technology / Applied Arts & Crafts / Architecture / Town Planning & post graduate program in PGDM / MBA / MCA, excluding supernumerary seats, if any;</p> <p>A batch of 30 seats in Post Graduate program in Engineering / Technology / Pharmacy / Hotel Management & Catering Technology / Applied Arts & Crafts / Architecture / Town Planning.</p>
2.28	Sub clause 2.28 shall be added after clause 2.27 in the All India Council for Technical Education (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS REGULATIONS, 2011).
	Part Time Programs means activities conducted in evening time i.e. 5.30 pm to 9.30 pm (six days a week) wherever First / general shift working exits and are meant only for working professionals or professionals with at least two years of work experience
	Sub clause 4.1 g shall be added in the All India Council for Technical Education (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS REGULATIONS, 2011).
	g Change of Site / Location of the existing Institution
	Sub clause 4.2 b of All India Council for Technical Education (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS REGULATIONS, 2011) shall be substituted by the following clause
	b Introduction of new course/s, division/s, program/s, second shift, and Part Time Programs
4.4	Sub clause 4.4 of All India Council for Technical Education (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS REGULATIONS, 2011) shall be substituted by the following clause
	The applications for approval for the purposes listed under clause 4.1 (a), (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of these Regulations shall be made by:
4.8	Sub clause 4.8 and 4.9 of All India Council for Technical Education (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS)

		<p>REGULATIONS, 2011 shall be substituted by the following clause</p> <p>An affidavit, in the format as given on the web portal, on a Non Judicial Stamp paper of Rs. 100/- duly sworn before a first class Magistrate or Notary or an Oath commissioner inter alia stating that the information given in the application is true and that if it is found at any stage that any or part of the information had been suppressed and / or misrepresented and / or the information given in the application is false, the Council will be free to take action including withdrawal of approval and / or any other legal action as it may deem fit.</p>
4.9	a	<p>All Existing institutions applying for</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extension of approval to existing Technical Institution / Technical Campus • Increase / reduction in intake in existing courses • Adding course/s in existing program • Closure of program / course • Mandatory provision of supernumerary seats for TFW • Introducing / continuing / discontinuing supernumerary seats for PIO • Introducing / continuing / discontinuing seats for sons/daughters of NRIs • Change of name of the Institute • Second Shift programs • Part Time Programs <p>Shall make necessary corrections, online, based on the deficiency / Status report available through Institute login until such time that the applicant finally submits the application on the portal.</p> <p>If there are no deficiencies then the system shall allot the intake applied for, as per clause 3.0, sub clause 8.1 and sub clause 9.6 of Chapter II of the Approval Process Hand Book</p> <p>The consolidated list of all Institutes with the approved intake shall be placed before the Executive Committee for approval or otherwise. The same shall be notified on the web portal. Further the Institute may print the Extension of approval letter along with approved intake through the institute login.</p> <p>No appeal shall be allowed on this procedure since an applicant is allowed corrections multiple times, in the application form along with generation of online deficiency / status report before submission of the application.</p>
4.9	b	<p>All applications other than 4.9a shall be evaluated by a Scrutiny Committee constituted by the Chairman, Regional Committee by selecting members using automated selection process provided by the AICTE web-portal</p>
4.11		<p>Sub clause 4.11 of All India Council for Technical Education (GRANT</p>

		OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS) REGULATIONS, 2011 shall be substituted by the following clause
		The Scrutiny Committee shall invite applicants of (a), (b), (c), (d) and (g) of clause 4.1, for presentation of their proposals along with originals of all scanned documents and a video CD of all facilities created for new Institutions as the case may be.
		As regards the applications listed at 4.1 (e) and (f) and 4.2 (g) the Scrutiny Committee will process the proposals based on the information / documents provided by the applicant.
		There is no scrutiny for applications under 4.2 (a), (b), (c), (d), (e), (f) since the processing is based on self disclosure.
	4.12	Sub clause 4.12 of All India Council for Technical Education (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS) REGULATIONS, 2011 shall be substituted by the following clause
		Based on the recommendations of the Scrutiny Committee, the Regional Officer concerned shall communicate deficiencies, if any, to the applicants as stated in time schedule. The list of deficiencies shall be posted in the AICTE web-portal for information.
	4.13	Sub clause 4.13 of All India Council for Technical Education (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS) REGULATIONS, 2011 shall be substituted by the following clause
		Expert Committee shall visit the Institutions in respect of applications as in clause 4.1 (a), (b), (c), (d), (f), and (g) of these regulations which are recommended by the scrutiny committee for further processing for grant of approval.
	4.17	Sub Clause 4.17 of All India Council for Technical Education (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS) REGULATIONS, 2011 is deleted
	4.23	Clause 4.23 of All India Council for Technical Education (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS) REGULATIONS, 2011 shall be substituted by the following clause
		The applications received under clause 4.1 and 4.2 of these Regulations will be processed as per the procedures, norms, standards and schedule prescribed in the approval process hand book or as notified by the Council from time to time.
	4.31	Clause 4.31 of All India Council for Technical Education (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS) REGULATIONS, 2011 shall be substituted by the following clause
		In the event of denial of extension of approval for the existing courses or grant of extension of approval under clause 4.28 and 4.29 of these Regulations, any application received for approval for any of the purposes mentioned above at clause 4.1 and 4.2 of these Regulations from such institutions shall not be considered till such proceedings are settled and the promoters/institutions are cleared of the charges of violations.
	9.0	Clause 9.0 of All India Council for Technical Education (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS) REGULATIONS, 2011 shall be substituted by the following clause

		<p>Part Time / Evening Programs</p> <p>The council shall permit only university affiliated Technical Education / Management Programs to be run as Part Time programs in any AICTE approved Technical / Management Institution.</p>
14		<p>Clause 14 of All India Council for Technical Education (GRANT OF APPROVALS FOR TECHNICAL INSTITUTIONS) REGULATIONS, 2011 shall be substituted by the following clause</p>
14.1		<p>Non submission / Incomplete submission of application for extension of approval</p> <p>The Technical Institutions shall submit the application for extension of approval in the prescribed format along with the enclosures to the concerned Regional Office of AICTE each year for extension of approval by the Council, even in cases where the approval to the Program / Course was granted for more than one year. The last date for receipt of such application with or without Late Fee shall be as mentioned in the schedule.</p> <p>Non submission / incomplete submission of application for extension of approval shall invite appropriate penal action against the Institution. The Institution shall be liable to the following punitive action from any one or more of the following by the council.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suspension of approval for supernumerary seats for one academic year 2. No admission status in one / more courses for one academic year 3. Withdrawal of approval for Program / course 4. Withdrawal of approval of the Institution
14.2		<p>Excess admissions</p> <p>Excess admissions over the sanctioned intake shall not be allowed under any circumstances. In case any excess admission is reported to / noted by the Council, appropriate penal action will be initiated against the Institution. The Institution shall be liable to following punitive action from any one or more of the following by the council.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Excess admission fee amounting five times the total fees collected per student shall be levied against each excess admission. 2. Suspension of approval for supernumerary seats for one academic year 3. No admission status in one / more courses for one academic year 4. Withdrawal of approval for Program / course. 5. Withdrawal of approval of the Institution.
14.3		<p>Non fulfillment of requirement of qualified Principal / Director</p> <p>Institutions not having qualified Principal / Director for period, more than 18 months shall be liable to following punitive action by the council.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No admission status for one academic year

14.4		Non fulfillment in Faculty: Student ratio, not adhering to pay-scales and / or qualifications prescribed for teaching staff
		<p>Institutions not maintaining prescribed Faculty: Student ratio, not adhering to Pay scales and / or qualifications prescribed for teaching staff for more than 18 months, shall be liable to following punitive action by the council from any one or more of the following.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suspension of approval for supernumerary seats, if any for one academic year 2. No admission status in respective courses for one academic year 3. Withdrawal of approval in the respective course 4. Withdrawal of approval of the Institution
14.5		Non fulfillment in Computer, Software, Internet, Printers, Laboratory Equipments, Books, Journals, Library facilities requirements
		<p>Institutions not maintaining prescribed Computer, Software, Internet, Printers, Laboratory Equipments and Books, Journals, Library facilities shall be liable to following punitive action from any one or more of the following by the council.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suspension of approval for supernumerary seats, if any for one academic year 2. No admission status in one / more courses for one academic year 3. Withdrawal of approval for Program / course 4. Withdrawal of approval of the Institution
14.6		Non fulfillment in additional Essential requirements for Technical Institution
		<p>Institutions not maintaining prescribed requirements shall be liable to following punitive action from any one or more of the following by the council.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suspension of approval for supernumerary seats, if any for one academic year 2. No admission status in one / more courses for one academic year
14.7		Non fulfillment in Built up Area
		<p>Institutions not fulfilling prescribed built up area requirements shall be liable to following punitive action from any one or more of the following by the council.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suspension of approval for supernumerary seats, if any for one academic year 2. No admission status in one / more courses for one academic year 3. Withdrawal of approval for Program/course 4. Withdrawal of approval of the Institution

14.8		<p>Refund cases</p> <p>Institutions not following guidelines issued by the Council regarding refund of fees on cancellations of admissions or delaying refunds shall be liable to following punitive action from any one or more of the following by the council.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Fine for non compliance of refund of fees levied against each case shall be twice the total fees collected per student.2 No admission status in one / more courses for one academic year3 Withdrawal of approval for Program / Course4 Suspension of approval for supernumerary seats, if any for one academic year
------	--	---

Dr. K. P. ISAAC, Member-Secy.
[ADVT III/4/162/11/Exty.]